

# Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL BHOPAL Division, BHOPAL Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell अनापति प्रमाण पत्र No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100085539/FNOC/COL/2023/2891

आवेदन की तिथि / Application Date

. Apr 28, 2023

जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-May-23

आवेदक का जाम / Applicant Name

RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE

आवेदक का पता / Applicant Address RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE

अञ्जपति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy 💮 Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईभारत का ऊंचाई / Building Height

: 12 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area:

4000 ( Sq.Mtr )

NH-46, NARSINGHGARH, ROAD, VILLAGE JHARKHEDA, SEHORE

संपति का पता / Property Address

SEHORE NAGAR PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100085539 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

#### टिप्पणि / Remarks-

कार्यालय संयक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ओपाल क्र./सं.सं./ अ.स.एन.ओ.सी./2023/12 भोपाल, दिनांक 09.05.2023

प्रीविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन क्रं.। तिथि

6100085539/28.04.2023

आवेदक का नाम एवं पता

RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE संस्थागत भवन क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर, ऊँचाई 12 मीटर

अधिभोग का प्रकार

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों व शर्तों के अंतर्गत "प्रोविजनल फायर अनापन्ति प्रिमाण पत्र" किया जाता है।



#### Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL BHOPAL Division, BHOPAL Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell अनापति प्रमाण पत्र No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100085539/FNOC/COL/2023/2891

आवेदन की तिथि / Application Date

Apr 28, 2023

ं जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name

: RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE

- 1. निम्नांकित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- (1) Access.
- (2) Wet Riser.
- (3) Down Comer.
- (4) Hose Reel.
- (5) Automatic Sprinkler System.
- (6) Yard Hydrant.
- (7) U.G. Tank with Draw off Connection.
- (8) Terrace Tanks.
- (9) Fire Pump.
- (10) Terrace Pump.
- (11) First Aid Fire Fighting Appliances.
- (12) Pressurization System.
- (13) Auto Detection System.
- (14) Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- (15) P.A. System with talk back facility.
- (16) Emergency Light.
- (17) Auto D.G. Set.
- (18) Illuminated Exit Sign.
- (19) Means of Escape.
- (20) Compartmentation.
- (21) MCB/ELCB.
- (22) Fireman Switch in Lift.
- (23) Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
- (24) Refuge Area
- 2. उपरोक्त तिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।



### Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL BHOPAL Division, BHOPAL Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell अनापति प्रमाण पत्र No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100085539/FNOC/COL/2023/2891

आवेदन की तिथि / Application Date

: Apr 28, 2023

जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name

: RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE

- 3. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिन्हित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेत् बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।
- 4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि स्रक्षा के लिये आवासीय/व्यवसायिक/शौक्षणिक/औदयोगिक परिसर हेत् उल्लेखित प्रावधान/नियमाँ एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5. निर्मित भवन/व्यवसायिक भवन /औद्योगिक भवन परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मी को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुजा में निर्धारित शर्ती का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 8. यह अनुजा भवन अनुजा में निर्धारित अविध या 01 वर्ष की अविध जो कम हो हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अविध में फायर उपकरण स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
- 9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- 10. अग्नि दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सीढ़ी (Emergency-Exit) का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।
- 11. निर्मित भवन की स्थिति में प्रोविजनल फायर अनापत्ति जारी होने के उपरांत फायर उपकरण स्थापित करने के दौरान अथवा विलंब की स्थित में किसी भी प्रकार की अग्नि द्घंटना का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 12. आवेदक को प्रोविजनल फायर एन.ओ.सी. में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके । तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसँस प्रदाय किया जावेगा।
- 13. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुजा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय प्रोविजनल एन.ओ.सी. स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।



## Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL BHOPAL Division , BHOPAL Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell अन्यपति प्रमाण पत्र No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100085539/FNOC/COL/2023/2891

आवेदन की तिथि / Application Date

Apr 28, 2023 जावक की

जावक की तिथि / Dispatch Date : 09-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name

RUKHMANI DEVI PUBLIC SCHOOL, SEHORE

14. अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राण्धिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अन्निवार्य होगा।

15. फायर अनापित जारी किये जाने के उपरांत अनापित प्रमाण पत्र में वर्णित शर्ती/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनापित प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

16. अवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं अभितेखों के परीक्षण आधार पर फायर अनापित जारी की जाती है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय वाद-विवाद की स्थिति में जारी फायर अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

> SURESH KUMAR BALIYA

Digitally signed by SURESH KUMAR BALIYA

Date: 2023.05.09 15:20:11 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL Madhya Pradesh